सं. एस-12011/1/2015-एसबीएम
भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

12वां तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक-2 फरवरी, 2015

सेवा में,
प्रधान सचिव/ सचिव,
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी
सभी राज्य/संघराज्य क्षेत्र

विषय:- लागत शर्तों में संशोधन के कारण स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत अतिरिक्त निधियों की मांग के संबंध में।

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों की 02.10.2014 से प्रभावी इकाई लागत में वृद्धि के कारण कुछ राज्यों द्वारा 2014-15 के लिए निधियों के आबंटन में संशोधन करने का निवेदन किया गया है।

इस संबंध में राज्यों को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों की संशोधित प्रोत्साहन लागत को ध्यान में रखकर उनके पास उपलब्ध निधियों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। उपलब्ध निधियों का दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित सीमा तक उपयोग कर लेने पर राज्य के जरूरी दस्तावेजों के साथ (पूरी पहली किश्त अथवा दूसरी किश्त) निधियों के अग्रिम रिलीज हेतु मंत्रालय को मांग प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि राज्यों द्वारा पूर्ण उपलब्ध निधियों (प्रारंभिक शेष+पहली किश्त+दूसरी किश्त) का 75% उपयोग कर लिया जाता है और इसके बाद भी उन्हें 2014-15 के भीतर आगे और निधियों की आवश्यकता पड़ती है तो वे अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध कर सकते हैं। मंत्रालय, अस्थायी उपयोगिता प्रमाणपत्र के माध्यम से सूचित व्यय की प्रगति, लेखा परीक्षा अपेक्षाओं की पूर्ति और मंत्रालय में निधियों की उपलब्धता के आधार पर, उस पर विचार कर सकता है।

भवदीय,

(सुजॉय मजुमदार)
निदेशक (एसबीएम)
दूरभाष:-011-24364427

प्रति:-
1. तकनीकी निदेशक (एनआईसी) - मंत्रालय की वैबसाइट पर डालने हेतु।